वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।

दिनांक 01 जुलाई 2020 को आयोजित प्रबंध मंडल की 98वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल की 98वीं बैठक दिनांक 01 जुलाई 2020 को विश्वविद्यालय के मुख्यालय स्थित ई0एम0पी0सी0 भवन में मध्यान्ह पूर्व 10.15 बजे आयोजित की गई। बैठक में निम्न सदस्य व्यक्तिगत / आनलाइन माध्यम से उपस्थित हुए :–

1.	प्रो0 आर.एल. गोदारा , कुलपति,वमखुवि, कोटा	अध्यक्ष
2.	प्रो0 प्रदीप साहनी, प्रतिनिधी, इं0गां0रा0मु0वि0विवि, नई दिल्ली	सदस्य
3.	श्री के0सी0मीना, संभागीय आयुक्त, कोटा	वित्त सचिव द्वारा नामित सदस्य
4.	श्री टी.मुरलीधरन, (राज्यपाल महोदय द्वारा मनोनीत)	सदस्य
5.	डा0 संतोष कुमार शील, (राज्यपाल महोदय द्वारा मनोनीत)	सदस्य
6.	डा0 दिलीप कुमार शर्मा, निदेशक, क्षे0के0 वमखुविवि,कोटा	सदस्य
7.	प्रो0 पी0के0 शर्मा, निदेशक, सीका विभाग,वमखुविवि,कोटा	विशेष आमंत्रित
8.	श्री राकेश भारती, नियंत्रक (वित्त) वमखुवि, कोटा	विशेष आमंत्रित
9.	श्री एस0डी0मीना, कुलसचिव, वमखुवि, कोटा	सचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा निर्वतमान सदस्यगणों प्रो0 राम मिलन, प्रो0 एन0के0 जैमन, प्रो0 एच0बी0नंदवाना, निदेशक, क्षेत्रीय सेवाऐं, एवं डा0 श्रीमती रश्मि बोहरा का कार्यकाल पूर्ण होने पर उनके सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया एवं नवनियुक्त सदस्यों श्री टी.मुरलीधरन, डा0 संतोष कुमार शील एवं डा0 दिलीप कुमार शर्मा का स्वागत करने के उपरांत आवश्यक गणापूर्ति की सुनिश्चितता होने पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यसूची में वर्णित प्रस्तावों को सदन के पटल पर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

कुलसचिव द्वारा बिंदुवार प्रस्तावों से सदन को अवगत करवाया गया एवं प्रस्तावों पर निम्नानुसार निर्णय लिए गए:–

98/01 प्रबंध मंडल की 97 वीं बैठक दिनांक 11 अक्टूबर 2019 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

प्रबंध मंडल की 97वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

98/02 प्रबंध मंडल की 97वीं बैठक दिनांक 11 अक्टूबर 2019 के निर्णयों की अनुपालना में की गई कार्यवाही का अनुपालना प्रतिवेदन का वाचन एवं पुष्टि।

अनुपालना प्रतिवेदन को कुलसचिव द्वारा बिंदुवार सदन को पढकर सुनाया गया, निर्णय संख्या 97/06 के सम्बन्ध में प्राप्त टिप्पणी भी सदन को अवलोकन करवाई गई एवं बताया गया कि इस सम्बन्ध में अलग से आगे प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है, उक्त जानकारी के उपरांत सदन द्वारा अनुपालना प्रतिवेदन की पुष्टि की गई।

98/03 विद्या परिषद की 60वीं बैठक दिनांक 27 मई 2020 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

विद्या परिषद की 60वीं बैठक दिनांक 27 मई 2020 के कार्यवाही विवरण में उल्लेखित निर्णयों की बिंदुवार जानकारी कुलसचिव द्वारा सदन को उपलब्ध करवाए जाने के उपरांत प्रो. प्रदीप साहनी ने विद्या परिषद द्वारा सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित ऑनलाइन परीक्षा के बारे में अपना विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि ऑनलाइन परीक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और इसकी विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के पश्चात आगामी विद्या परिषद में इसकी चर्चा कर अनुमोदन पश्चात प्रबंध मंडल में विचारार्थ और अनुमोदनार्थ रखा जाना चाहिए।

श्री मुरलीधरन ने भी इस क्रम में अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अत्यधिक ईमानदारी के साथ ऑन–लाइन परीक्षा की प्रक्रिया की तैयारी करने के बाद प्रबंध मंडल की अंतिम मंजूरी के लिए ऑनलाइन परीक्षा करवाने की व्यवस्था संबंधी प्रस्ताव वापस अनुमोदनार्थ रखा जाना चाहिए।

प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्य प्रो. प्रदीप साहनी और श्री मुरलीधरन द्वारा ऑनलाइन परीक्षा करवाने के सम्बन्ध में व्यक्त किये विचारों के बारे में अपना अभिमत प्रस्तुत करते हुए माननीय कुलपति महोदय ने कहा कि विषय की गंभीरता को मध्य नजर रखते हुये विद्या परिषद की 60वीं बैठक में COVID–19 के कारण उत्पन्न हुए हालातों, यु.जी.सी. और डेब (UGC & DEB) तथा केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा परीक्षा आयोजन करने सम्बन्धी दिशा निर्देशों पर गहन एवं विस्तृत विचार विमर्श करने के पश्चात ऑनलाइन परीक्षा करवाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई। किन्तु साथ ही साथ विद्या परिषद ने ऑनलाइन परीक्षा करवाने की व्यावहारिक एवं तकनीकी समस्याओं पर गहन एवं विस्तृत विचार विमर्श कर अपनी कार्ययोजना प्रस्तुत करने के लिये अकादमिक (Academic) एवं तकनीकी (Technical) दो समितियों का गठन किया और निर्देशित किया कि उन दोनों समितियों द्वारा प्रस्तुत कार्ययोजना को अनुमोदनार्थ विद्या परिषद के समक्ष रखा जाये। माननीय कुलपति महोदय ने प्रबन्ध मण्डल में यह भी स्पष्ट किया कि विद्या परिषद द्वारा गठित उक्त दोनों समितियों की रिपोर्ट को विद्या परिषद में अनुमोदन करवाकर प्रबन्ध मण्डल के समक्ष

प्रस्तुत किया जायेगा और प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन पश्चात ही विश्वविद्यालय ऑनलाइन परीक्षाओं का आयोजन करवायेगा।

माननीय सदस्यों के अभिमत को ध्यान में रखते हुए प्रबन्ध मण्डल द्वारा गहन एवं विस्तृत विचार–विमर्श पश्चात विद्या परिषद की 60वीं बैठक के कार्यवाही विवरण को अनुमोदित किया गया।

98/04 वित्त समिति की 59 वीं बैठक दिनांक 20.06.2020 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

वित्त समिति की 59वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की बिंदुवार विस्तृत जानकारी नियंत्रक वित्त द्वारा सदन को प्रदान की गई, नियंत्रक वित्त द्वारा सदन को यह भी अवगत करवाया कि कोरोना संक्रमण में छात्रों से लिए जाने शुल्क में वृद्वि नहीं किए जाने सम्बन्ध राजभवन के दिशा निर्देशों के तहत शुल्क में वृद्वि नहीं की जा रही है बल्कि विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम सोफ्ट कोपी में प्राप्त करने का विकल्प भी प्रदान किया जा रहा है यदि कोई छात्र हार्ड कोपी के स्थान पर पाठ्यक्रम की सोफ्ट कोपी लेने का विकल्प चुनता है तो ऐसे छात्रों को प्रोग्राम फीस में 15 प्रतिशत की छूट आगामी सत्र से दिए जाने का अनुमोदन भी वित्त समिति द्वारा किया गया है। उक्त जानकारी के उपरांत सदन द्वारा वित्त समिति के कार्यवाही विवरण को अनुमोदित किया गया।

98/05 अधीनस्थ सेवाओं और मंत्रालयिक सेवाओं के पदों पर भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से करवाने के राजभवन से प्राप्त निर्देश के सम्बन्ध में पूर्व बैठक के निर्णय के क्रम में पुनः प्रस्ताव।

कुलसचिव द्वारा सदन को इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त नवीनतम दिशा निर्देश से अवगत करवाते हुए, सदन से उचित निर्णय लिए जाने का अनुरोध किया गया, सदस्यों द्वारा यह जानकारी चाही गई कि राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है, यह भी मत व्यक्त किया गया कि राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक नोटिफिकिशन जारी किया जाना चाहिए एवं क्या प्रबंध मंडल द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किए जाने पर राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड विश्वविद्यालयों के लिए भर्ती करने के लिए सहमति प्रदान कर देगा।

उक्त चर्चा उपरांत निर्णय किया गया कि इस सम्बन्ध में राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया की जानकारी के साथ–साथ राज्य सरकार से पत्रव्यवहार एवं राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड से भी भर्ती करवाने की सहमति के सम्बन्ध में पत्रव्यवहार करने के उपरांत प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किया जाए।

4/8/20

98/06 राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में शिक्षकों एवं कार्मिकों हेतु समान आचार सहिंता के सम्बन्ध में राजभवन से प्राप्त आचार सहिंता विश्वविद्यालय में लागू किए जाने का अनुमोदन प्रस्ताव।

समान आचार सहिंता लागू करने की सहमति प्रदान करते हुए निर्णय किया गया कि सक्रिय राजनीति अथवा चुनाव गतिविधियों में भाग लेने के सम्बन्ध में राज्य सराकर से अनुमति प्राप्त की जाए।

98/07 वित्त समिति में दो सदस्यों के मनोनयन का प्रस्ताव।

प्रबंध मंडल द्वारा डा0 गोपाल सिंह, पूर्व प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, रामगंज मंडी को वित्त समिति में सदस्य मनोनीत किया गया ,प्रबंध मंडल के सदस्य के रूप में मनोनयन हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

98/08(1) विश्वविद्यालय परिसर में सौर उर्जा संयत्र की स्थापना की अनुमति का प्रस्ताव।

नियंत्रक वित्त द्वारा सौर उर्जा संयत्र के सम्बन्ध में राजभवन से प्राप्त दिशा निर्देशों एवं संयत्र स्थापना की प्रक्रिया आदि की जानकारी सदन को प्रदान करने के बाद सदन द्वारा सौर उर्जा संयत्र स्थापित करने के प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

98/08(2) कैरियर एडवांसमेंट स्कीम का लाभ प्रदान किए जाने की कार्यवाही में आ रही प्रक्रियात्मक बाधा (Operational Difficulty) को दूर करने तथा विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल से अनुमोदित दूरस्थ शिक्षा परिषद (इग्नू) व सम्बन्धित यू.जी.सी. रेगुलेशन (2010 एवं 2018) के प्रपत्रों के अनुसार 'वार्षिक स्वमूल्यांकन प्रपत्र' भरे जाने व उसी अनुसार शिक्षकों के कार्यभार का परीक्षण व सी.ए.एस. के द्वारा पदौन्नती के परीक्षण की व्यवस्था लागू किऐ जाने हेतु प्रस्ताव।

प्रस्तावः—आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन केन्द्र (CIQA) द्वारा शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम का लाभ प्रदान किए जाने की कार्यवाही में आ रही प्रक्रियात्मक बाधा (Operational Difficulty) को दूर करने तथा सम्बन्धित यू.जी.सी. रेगुलेशन के अनुरूप पदौन्नति की कार्यवाही सम्पादित करवाने हेतु प्रबन्ध मण्डल की बैठक संख्या 83 में अनुमोदित आइटम संख्या 83/12 (6) के वाक्यांश (Clause) में निम्नानुसार संशोधन बाबत् —

बैठक संख्या 83 में अनुमोदित आइटम संख्या 83/12 (6) का वाक्यांश (Clause)	प्रस्तावित
प्रत्येक शिक्षक, सत्र के प्रारम्भ (July) में निदेशक, संकाय को अपने वर्षभर की कार्य योजना देंगे तथा प्रत्येक चौथे महीने अपनी रिपोर्ट निदेशक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसके अनुसार ही सी.ए.एस. में ए.पी.आई.की गणना होगी तथा शिक्षकों के कार्यभार का परीक्षण होगा।	प्रत्येक शिक्षक द्वारा कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल से अनुमोदित दूरस्थ शिक्षा परिषद (इग्नू) व सम्बन्धित यू.जी.सी. रेगुलेशन के प्रपत्रों के अनुसार 'वार्षिक स्वमूल्यांकन प्रपत्र' भरे जाने व उसी अनुसार शिक्षकों के कार्यभार का परीक्षण व सी.ए.एस. के द्वारा पदौन्नती के परीक्षण की व्यवस्था

	भूतलक्षी प्रभाव से लागू किऐ जाने हेतु प्रस्ताव।

<u>उक्त प्रस्ताव अनुमोदन हेतु आधार –</u>

1. **उक्त प्रस्ताव शिक्षकों के कार्यभार की संरचना में परिवर्तन नहीं है अर्थात** प्रबन्ध मण्डल के प्रस्ताव संख्या 83/12/(06) में पारित दूरस्थ शिक्षा परिषद के नियमानुसार 1200 घंटों के शिक्षकों के कार्यभार से सम्बन्धित वर्द्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की विद्या परिषद व प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदित इग्नू व सम्बन्धित यू.जी.सी. रेगुलेशन के प्रपत्रों के अनुरूप ही शिक्षकों द्वारा वार्षिक स्व मूल्यांकन प्रपत्र CAS के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किए जा रहे हैं व 'वार्षिक स्व मूल्यांकन प्रपत्रों' में न्यूनतम अर्हताओं को पूर्ण करने पर ही योग्य शिक्षक को सम्बन्धित यू.जी.सी. रेगुलेशन के नियमानुसार CAS के तहत लाभ प्रदान किये जायेंगे।
2. समय–समय पर जारी यू.जी.सी. रेगुलेशन 2010 / 2018 में भी शिक्षकों द्वारा CAS का लाभ प्राप्त/प्रदान किए जाने हेतु 'वार्षिक स्व मुल्यांकन प्रपत्र' भरे जाने सम्बन्धित निर्देश मात्र ही दिये गये है। **उक्त दोनों रेगुलेशनों में "प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ में निदेशक (संकाय)/विभागाध्यक्ष को कार्यभार की कार्य योजना देना एवं प्रत्येक चौथे महीने अपनी रिपोर्ट निदेशक (संकाय)/ विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करना" सम्बन्धित प्रावधान नहीं है।'**
3. वर्तमान में कुल 19 शिक्षकों को सम्बन्धित रेगुलेशन के अधीन CAS के नियमों के तहत मूल्यांकन किये जाने के पश्चात् CAS का लाभ प्रदान किया जाना अपेक्षित है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्राप्ति) विनियम, 2017 के अनुसार प्रत्येक विभाग में न्यूनतम 5 शिक्षक होना वांछित है तथा इस परिप्रेक्ष्य में लेख है कि विश्वविद्यालय के अधिकतम विभागों में एक ही शिक्षक कार्यरत है। शिक्षक स्वयं के कार्यभार के अतिरिक्त सम्पूर्ण विभाग/कार्यक्रम के कार्यभार, अन्य विभागों (जिनमें शिक्षक नहीं है) के सम्पूर्ण विभाग/कार्यक्रम के कार्यभार एवं अन्य प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में वर्ष 2013 के पश्चात कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत किसी प्रकार की पदौन्नति नहीं हुई है। अतः उक्त प्रस्ताव को भूतलक्षी प्रभाव से पारित कर प्रक्रियात्मक बाधा (Operational Difficulty) को दूर किया जाना प्रस्तावित है।

<u>निदेशक, सीका से प्राप्त उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में निम्नानुसार टिप्पणी भी सदन के पटल पर प्रस्तुत हैः–</u>

1. प्रबंध मंडल की 83वीं बैठक के निर्णय संख्या 83/12(6) में वर्ष के प्रारंभ में कार्ययोजना देंगे एवं प्रत्येक चौथे माह अपनी कार्य रिपोर्ट निदेशक के समक्ष प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में है, ना कि शैक्षणिक सत्र के अंत में भरे जाने वाले स्वमूल्यांकन प्रपत्र से सम्बन्धित है, दोनों अलग अलग दस्तावेज/ प्रक्रिया है, स्वमूल्यांकन प्रपत्र तो वर्ष के अंत में ही भरा जाता है,इसके लिए प्रस्ताव की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।
2. प्रबंध मंडल की 83वीं बैठक के संलग्न निर्णय की पालना में प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में अपनी कार्ययोजना बनाकर रिपोर्ट निदेशक के समक्ष प्रस्तुत करने एवं प्रत्येक चौथे महीने में अपनी रिपोर्ट के सम्बन्ध में कार्यालय आदेश संख्या 3116 दिनांक 30 मई 2012 जारी किए हुए है, जो कि वर्तमान में भी प्रभावी है। ऐसी स्थिति में प्राप्त प्रस्ताव

4/8/20

में भूतलक्षित प्रभाव से पूर्व निर्णय को वापिस लिए जाने अथवा संशोधित करने से स्थापना अनुभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश की क्या स्थिति रहेगी एवं पूर्व निर्णय को संशोधित किया जाना उचित है अथवा नहीं इस सम्बन्ध में प्रबंध मंडल द्वारा विचार विमर्ष किया जाना आवश्यक है।

निर्णयः–

चर्चा के दौरान कुलसचिव ने प्रशासनिक दृष्टि से कुछ बिंदुओं पर सदन के ध्यान में लाया गया कि विश्वविद्यालय ने इस संदर्भ में जारी किया गया आदेश संख्या 33116–142 दिनांक 30 मई 2012 की स्थिति क्या रहेगी, प्रबंध मंडल द्वारा लिए गए निर्णय पर 08 वर्ष बाद पुनः विचार किया जा रहा है,ऐसी स्थिति में इस संदर्भ में जारी किया गया विश्वविद्यालय का आदेश क्या प्रभाव शुन्य होगा? चर्चा के दौरान प्रो0 पी0 के0 शर्मा, द्वारा अवगत करवाया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा जा आदेश जारी किया गया था वो आदेश शिक्षकों के संज्ञान में नहीं है। इस पर कुलसचिव ने अवगत करवाया कि जारी किया गया आदेश निदेशक, संकाय को प्रेषित कर लेख किया गया था कि जारी आदेश से सभी शिक्षकों को अवगत करवाने का कष्ट करें, तथा साथ ही इसकी प्रति विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा, शासन सचिव राजस्थान सरकार को भी प्रेषित की गई थी। ऐसी स्थिति में प्रबंध मंडल द्वारा लिए गए निर्णय की भूतलक्षित प्रभाव से संशोधन करना राज्य सरकार की अनुमति के बिना उचित नहीं है। प्रो0 पी0 के0 शर्मा ने अवगत करवाया कि शिक्षकों के पास कार्यभार की अधिकता है इस कारण विश्वविद्यालय के आदेश में सी.ए.एस. के लिए आवश्यक दर्शाये गए मापदंडों को मेंटेन नहीं किया जा सकता है तथा जो पूर्व में निर्णय हुआ है उसमें गलती हुई है, अतः इसका भूल सुधार के लिए प्रस्ताव लाया गया है। माननीय सदस्य राज्य सरकार के वित्त सचिव के प्रतिनिधी श्री के0सी0 मीना ने अपना मत व्यक्त किया कि भूतलक्षित प्रभाव से प्रावधानों को परिर्वतन करना Highly objectionable है ,अतः प्रकरण में राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक है।

माननीय सदस्य प्रो0 प्रदीप साहनी का मत था कि निदेशक, सीका इस बाबत् पूर्ण प्रावधानों के साथ अपना प्रस्ताव माननीय कुलपति महोदय को प्रस्तुत करें तथा माननीय कुलपति महोदय परीक्षण उपरांत राज्य सरकार के वित्त विभाग को अनुमति हेतु भिजवाए क्यों कि राज्य सरकार के वित्त विभाग का मत महत्वपूर्ण है,अतः प्रबंध मंडल से ऐसा कोई निर्णय पारित नहीं करवाया जाए जिसकी क्रियान्विती ही नही हो सके। प्रो0 साहनी का यह भी मत था कि कुलसचिव द्वारा बैठक में जो बिंदु उठाए है उन्हें set-asid नहीं किया जा सकता।

माननीय सदस्य श्री टी. मुरलीधरन ने प्रो0 साहनी द्वारा उठाए गए बिंदुओं से सहमति व्यक्त की तथा उनका मत था कि कुलपति आगामी प्रबंध मंडल की बैठक में अपनी अभिशंसा के साथ आगामी बैठक में प्रस्ताव रखे ताकि प्रबंध मंडल में निर्णय लेने में आसानी हो।

माननीय सदस्य डा0 संतोष कुमार शील का मत था कि प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया जाए किंतु शिक्षकों को सी0ए0एस0 का लाभ जब से देय है उनका फिकेसशन कर काल्पिनिक वित्तिय लाभ प्रदान कर दिया जाए ताकि वित्तिय भार भी विश्वविद्यालय पर ना आए। यदि शिक्षकों ने निर्धारित घंटों से अधिक कार्य किया है तो ड्यु डेट से स्वीकृत किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

माननीय सदस्य डा0 दिलीप शर्मा का मत था कि शिक्षकों के साथ साथ सी0ए0एस0 में अन्य शैक्षणिक स्टाफ को भी इन प्रावधानों में सम्मिलित किया जाए।
उक्त चर्चा उपरांत अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि संपूर्ण प्रकरण पर कुलाधिपति एवं राज्य सरकार से विधिक राय प्राप्त करने के पश्चात् विद्या परिषद एवं प्रबंध मंडल में विस्तृत चर्चा के लिए रखा जाएगा, क्यों कि यह विश्वविद्यालय राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय है,अतः निर्णय राज्य सरकार के आदेशानुसार ही लागू होगा। समस्त सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय द्वारा दी गई व्यवस्था से सहमति व्यक्त करते हुए इस व्यवस्था अनुसार कार्यवाही किए जाने का निर्णय किया गया।

आसन का धन्यवाद ज्ञापित करने के उपरांत बैठक समाप्त घोषित की गई।

4/8/20

(शंभू दयाल मीना)
कुलसचिव एवं सचिव
प्रबंध मंडल